न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–15 / 2020

कपिलदेव राय वगैरह............................वादीगण

बनाम

चिंता देवी वगैरह ....प्रतिवादी

आदेश

11.11.22 अभिलेख आज वादी की ओर से वादपत्र संशोधन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–01.07.2022 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। वाद की कार्रवाई एकपक्षीय अग्रसारित है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त आवेदन में वादी का निवेदन है कि टंकक भूल के कारण तथा खतियान में दर्ज नाम के आधार पर वादपत्र में कुछ आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है। अतः प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हुए संशोधन आदेशित करने की कृपा की जाए।

वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन अपने पिता तथा दादा के नाम तथा स्वंय के नाम में संशोधन हेतु दाखिल है तथा प्रस्तावित रकवा में कमी किए जाने का संशोधन प्रस्तावित है जो वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन एवं उभय पक्षों के मध्य वास्तविक विवादग्रस्त प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार वादी द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकृत किया जाता है एवं वादी को निर्देश दिया जाता है कि आज की तिथि से 14 दिनों के भीतर वादपत्र में वांछित संशोधन दर्ज करें तथा अभिलेख दिनांक– 09-12-22 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी।